राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] चौदहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पहला दिवस [संख्या: 01

गुरुवार,

01 सितम्बर 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। राष्ट्रीय गीत। वन्दे मातरम्।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

अनुपस्थिति अनुमति

बी.एल. कुशवाह, श्री, सदस्य को 01 सितम्बर, 2016 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री बी.एल. कुशवाह, सदस्य, विधान सभा ने धौलपुर कारागार में निरुद्ध होने के कारण दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(श्री अध्यक्ष)

सचिव, विधान सभा, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

सचिव (राजस्थान विधान सभा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्र में पारित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर इतनी स्थिति ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बिना वजह सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान) प्रस्ताव लेकर आयें ना।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव (राजस्थान विधान सभा): जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

1. राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016
2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2016
3. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016
4. साईं तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016
5. राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016
6. राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016
7. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016
8. राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016
9. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016
10. राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016
11. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2016 । (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज जिस तरीके से हिंगोनिया गौशाला के अन्दर हजारों गायों की मौतें हुई हैं, राजस्थान की

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गई। दलितों के साथ में अन्याय हो रहा है। (व्यवधान) दलितों के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जेल जाने के बाद में उसकी हत्या की गई। (व्यवधान) रेप किया गया है ...(व्यवधान) आज साढ़े चार लाख गायें सरकारी गौशालाओं के अन्दर हैं। (व्यवधान) आज जलदाय विभाग के अन्दर जो भ्रष्टाचार हुआ वह अधिकारियों की मिलीभगत है। (व्यवधान) जलदाय मंत्री के आंगन से धुआं उठ रहा है। इसकी सही तरीके से सी.बी.आई. जांच हो। मैं निवेदन करना चाह रहा था। (व्यवधान) आज राजस्थान प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार से स्थिति हुई है, कानून व्यवस्था की ...(व्यवधान) एक साल से गैंगस्टर भाग रहा है। एक साल से गैंगस्टर पकड़ा नहीं गया। आनन्दपाल को पकड़ नहीं सके।

श्री अध्यक्ष: लोकसभा द्वारा भेजा गया संदेश।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार का दायित्व और फर्ज बनता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आप उन व्यवस्थाओं को सुधारो। आज दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान) आज गायें हजारों की तादाद में मर रही हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आज हिंगोनिया गौशाला मामले की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिये। सरकार की लापरवाही गम्भीर है। नगर-निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

संदेश

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन

सचिव (राजस्थान विधान सभा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 118 का. का. के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी लोक सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूं, जो निम्न प्रकार है:-

"No. 1/6(15)/2014/L-I Dated the 11th August, 2016

From

Anoop Mishra
Secretary General
Lok Sabha.

(सचिव)

To

The Secretary
Rajasthan Vidhan Sabha,
Rajpath, Jyoti Nagar,
Jaipur-302005."

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम निवेदन करना चाहते हैं कि सदन के अन्दर इस पर चर्चा होनी चाहिये। सरकार चर्चा कराये इस पर। चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे गायों की मौतों का मामला हो। चाहे दलितों की हत्याकाण्ड का मामला हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर चर्चा करनी चाहिए। हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर सदन के अन्दर चर्चा होनी चाहिए। ईमानदारी से डिबेट होनी चाहिए इसमें। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज राजस्थान के अन्दर बेरोजगारी बढ़ रही है।

सचिव (राजस्थान विधान सभा): "**Subject : The Constitution (One Hundred and Twenty-second Amendment) Bill, 2014- ratification of.**

Sir,

I am directed to state that the *Constitution (One Hundred and Twenty-second Amendment) Bill, 2014 was passed by the House of the people on the 6th May, 2015 and transmitted to the Council of States for its concurrence. The council of States returned the Bill with amendments on the 3rd August, 2016." …

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सब हम सदन के सदस्य हैं। हमारे माइक आपने आधे घण्टे बाद में चालू कराये। जिस प्रकार से गौ-माताओं को मरने के लिये छोड़ दिया, सरकार की विफलता है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार है, एन.आर.एच.एम. विभाग में भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से आनन्दपाल पकड़ा नहीं गया ।

सचिव (राजस्थान विधान सभा): …"Amendments made by the Council of States have been agreed to by the House of the People on the 8th August, 2016. A copy of the Bill, as introduced in the House of the People and a copy of the Bill, as passed by the Houses of Parliament, are sent herewith."

2. As the Bill contains amendments which attract the provisions of clauses (b) and (c) of the proviso to clause (2) of article 368 of the Constitution, the amendments are required to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill is presented to the President for this assent.

(सचिव)

3. I am accordingly to request that a resolution ratifying the amendments may be placed before the State Legislative Assembly/the State Legislative Council, as early as practicable, and the result be communicated to this Secretariat.

4. It is suggested that the proposed resolution may be on the following lines:-

"That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clauses (b) and (c) of the proviso to clause (2) of article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty-second Amendment) Bill, 2014, as passed by both the Houses of Parliament."....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नियमों के अन्दर लेकर आओ।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से राजमहल पैलेस राज परिवार से छीनने का प्रयास किया है, राजपूत समाज पूरा सड़क पर है और ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज छह महीने से सदन आया है। जनता से जुडे हुए मुद्दे हैं उनका जवाब नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हिंगोनिया गौशाला में बहुत बड़ा अपराध इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। सरकार गऊ और राम के नाम पर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब दिलाइये, जवाब दिलाइये मुख्य मंत्रीजी से। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): गायों को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जयपुर के मन्दिरों को तोड़ने का काम, इस जयपुर में जिस तरीके से ऐतिहासिक मन्दिरों ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गायों को मारा गया हिंगोनिया के अन्दर।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): गायों को मारा गया तो आप मर जाओगे। यह भारतीय जनता पार्टी ...(व्यवधान) खुद मिट जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री, सदन की नेता, सदन में मौजूद हैं। इनसे जवाब दिलाया जाए इन मुद्दों के ऊपर। (व्यवधान) आज कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। प्रदेश में प्रत्येक डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नियमों में आओ, नियमों में आओ। हिम्मत है तो नियम में लाओ। प्रस्ताव लाओ, फिर कराओ बहस। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, इस गाय और राम के नाम से आये हैं यहां पर। मन्दिर हटाने का काम भी आपने किया है। गाय को मारने का काम भी आप कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अपने गिरहबान में झांक कर देखिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): सबसे ज्यादा मन्दिर कांग्रेस के शासन में ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इतने बड़े मुद्दे हैं और जब सदन की नेता सदन में मौजूद हैं तो उनसे जवाब क्यों नहीं दिलवाया जाए। सदन की नेता हिंगोनिया गौशाला गयीं नहीं। गायों को मरने के लिये छोड़ दिया। सरकार ने व्यवस्था की नहीं और आज जवाब देने का जब समय आया तो मौन।

5. **सचिव** (राजस्थान विधान सभा): ''5.The Parliamentary proceedings on the Bill are being printed and as soon as these are available, necessary number of copies thereof along with the copies of the Bill, as introduced in the House of the People, and as passed by both Houses of Parliament, will be forwarded to you for the use of the members of the State Legislature through the Liaison Officer of your State in New Delhi. I may also inform you that the aforesaid proceedings and the Bills will also be available on the Lok Sabha website 'loksabha.nic.in' in due course.

6. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(ANOOP MISHRA)''

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कौनसे नियमों में बोल रहे हैं? कौनसे नियमों में बोल रहे हो आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय ने परमिशन दी है।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा एवं राजस्थान के

(श्री अध्यक्ष)
पूर्व राज्यपाल डा. ए.आर. किदवई, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कलिखो पुल तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरलाल सिंह खर्रा, श्री हरिसिंह तथा श्री कानसिंह राठौड़ के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अखलाकुर रहमान किदवई, डा., पूर्व राज्यपाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा राजस्थान

बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा राजस्थान के पूर्व राज्यपाल डा. अखलाकुर रहमान किदवई का जन्म 01 जुलाई, 1920 को उत्तर-प्रदेश के बाराबंकी जिले के बड़ागांव में हुआ। आपने बी.ए., एम.एससी. तथा पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

डा. ए.आर. किदवई जनवरी, 2000 से जुलाई, 2004 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। आप वर्ष 1979 से 1985 तक तथा 1993 से 1998 तक बिहार, वर्ष 1998 से 1999 तक पश्चिम बंगाल, वर्ष 2004 से 2009 तक हरियाणा के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। डा. किदवई के पास जून, 2007 से सितम्बर, 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। आप केन्द्र सरकार में रेलवे तथा वाणिज्य मंत्रालयों के उप मंत्री रहे। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, कृषि, जल संसाधन एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों संबंधी समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

कुशल प्रशासक रहे डा. किदवई संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष रहे। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय के डा. बी.आर. अम्बेडकर बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर एवं बाम्बे मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन तथा इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डा. किदवई ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की अनेक शैक्षिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर कार्य किया। आपको वर्ष 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रहे डा. किदवई के 40 से अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉ.

(श्री अध्यक्ष)

किदवई छात्र जीवन में ही स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ गये। बाद में आपने महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये विभिन्न आन्दोलनों तथा भारत छोड़ो आन्दोलनों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी दर्शन से प्रभावित रहे डा. किदवई ने अनेक स्थानों पर गांधी स्मारकों के निर्माण तथा विकास में अपना योगदान दिया।

डा. ए.आर. किदवई का दिनांक 24 अगस्त, 2016 को निधन हो गया।

कलिखो पुल, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कलिखो पुल का जन्म 20 जुलाई, 1969 को अरुणाचल प्रदेश के अंजों जिले के वाल्ला ग्राम में हुआ। आपने अर्थशास्त्र एवं विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री कलिखो पुल दूसरी से छठी अरुणाचल प्रदेश विधान सभा तक पांच बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अरुणाचल प्रदेश सरकार में वित्त, कर एवं आबकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के राज्य मंत्री रहे। आप चौथी एवं पांचवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री तथा छठी विधान सभा के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे। आप 19 फरवरी, 2016 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। आप इस पद पर 13 जुलाई, 2016 तक आसीन रहे।

विद्यार्थी जीवन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले श्री पुल सैकण्डरी स्कूल, हवाई के दो वर्षों तक तथा आई.जी.जी.सी., तेजू छात्र संघ के तीन सत्रों तक महासचिव रहे। आप लोहित कोआपरेटिव के चेयरमैन तथा अरुणाचल हिन्दी समिति के संस्थापक भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री पुल ने बाढ़, अग्निकांड एवं महामारी सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपनी सेवाएं दीं।

श्री कलिखो पुल का दिनांक 09 अगस्त, 2016 को निधन हो गया।

हरलाल सिंह खर्रा, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री हरलाल सिंह खर्रा का जन्म दिनांक 13 जनवरी, 1934 को सीकर जिले के भारणी ग्राम में हुआ। आपने राजकीय हाई स्कूल श्रीमाधोपुर से हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की।

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरलाल सिंह खर्रा चौथी, छठी, आठवीं, नौवीं तथा बारहवीं राजस्थान विधान सभा में श्रीमाधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप चौथी विधान सभा में जन संघ, छठी विधान सभा में जनता पार्टी, आठवीं एवं नौवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी तथा बारहवीं विधान सभा में निर्दलीय विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति एवं याचिका समिति के सदस्य तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति रहे। आप मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक राजस्थान सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी रहे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1957 से 1960 तक ग्राम पंचायत, महरोली के सरपंच रहे। आप दो बार पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर के प्रधान भी रहे। श्री खर्रा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए सदैव सक्रिय रहे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा का दिनांक 21 मई, 2016 को निधन हो गया।

हरिसिंह, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री हरिसिंह का जन्म 11 मई, 1928 को भरतपुर जिले के खेड़ली गड़ासिया ग्राम में हुआ। आपने एम.कॉम. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री हरिसिंह सातवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति तथा विधि एवं न्याय, चुनाव, श्रम, संसदीय मामलात विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप विशेषाधिकार समिति के सभापति तथा विधान सभा की सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। श्री हरिसिंह दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2003 तक पशुपालन, खादी एवं ग्रामोद्योग, नियोजन एवं श्रम विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास दुग्ध एवं मत्स्य विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी रहा।

श्री हरिसिंह अपने सार्वजनिक जीवन में नगर परिषद, भरतपुर के अध्यक्ष तथा नगर सुधार न्यास, भरतपुर के सदस्य रहे। आप जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, भरतपुर, अरबन कोआपरेटिव बैंक, भरतपुर के

(श्री अध्यक्ष)

अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राज्य श्रमिक बाल मंडल एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के सदस्य रहे। आप जिला परिषद, भरतपुर के प्रशासक भी रहे। श्री हरिसिंह जिला कांग्रेस कमेटी, भरतपुर तथा राजस्थान किसान कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष रहे। आप राजस्थान राज्य स्तरीय अकाल राहत सलाहकार समिति के सदस्य रहे। खेलों में रुचि रखने वाले श्री हरिसिंह अनेक खेल संघों के विभिन्न पदों पर रहे।

श्री हरिसिंह का दिनांक 14 अगस्त, 2016 को निधन हो गया।

कानसिंह राठौड़, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री कानसिंह राठौड़ का जन्म 1931 को बाड़मेर में हुआ। आप साक्षर थे।

श्री कानसिंह राठौड़ छठी राजस्थान विधान सभा में शिव निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री राठौड़ अपने सार्वजनिक जीवन में 16 वर्षों तक ग्राम पंचायत के सदस्य तथा चार वर्ष तक पंचायत समिति के सदस्य रहे।

श्री कानसिंह राठौड़ का दिनांक 05 अगस्त, 2016 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिवारों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 02 सितम्बर 2016 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.18 बजे शुक्रवार, दिनांक 02 सितम्बर 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)